जिला–सीतामढी।
न्यायालयः– अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी,पुपरी।

सामान्य पंजी संख्या–601/2015
विचारण पंजी संख्या–580/2025

उपस्थितिः– विवेक कुमार,
अनुमंडल न्यायिक दंड़ाधिकारी,
पुपरी।

निर्णय, दिनांक– ....10th.... मार्च, 2026

सरकार द्वारा इन्द्रासन देवी, पति–स्व0 राम सुजिस्ट ठाकुर, साकिन–गांधीनगर श्रीखण्डी, भिट्ठा पूर्वी, थाना–सुरसण्ड, जिला–सीतामढ़ी। .....सूचक।

बनाम्

01. खुशबु कुमारी, पिता–रामबाबू ठाकुर, अनुमानित उम्र.....26 वर्ष।
02. दीपक ठाकुर, पिता–रामबाबू ठाकुर, अनुमानित उम्र.....30 वर्ष।
03. रामबाबू ठाकुर, पिता–स्व0 सत्येन्द्र ठाकुर, अनुमानित उम्र.....61 वर्ष।
04. शिव देवी, पति–रामबाबू ठाकुर, अनुमानित उम्र.....55 वर्ष।
साकिन–गांधीनगर श्रीखण्डी भिट्ठा पूर्वी, थाना–सुरसण्ड, जिला–सीतामढ़ी।.....अभियुक्तगण।

आरोप अंतर्गत धारा – 323/34, 341/34, 379/34, 504/34, 354 भा.द.वि.
अभियोजन की ओर सेः– विद्वान् अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी।
बचाव पक्ष की ओर सेः– श्री राम नरेश प्रसाद, विद्वान् अधिवक्ता।

निर्णय

उपरोक्त अभियुक्त को दिनांक–07.02.2017 को भा.द.वि. की धारा–323/34, 341/34, 379/34, 504/34 भा.द.वि. सभी अभियुक्तों के विरूध तथा 354 भा0द0वि0 अभियुक्त रामबाबू ठाकुर के विरूध आरोप का गठन कर हिन्दी में पढ़कर सुनाया–समझाया गया। अभियुक्त अपने को निर्दोष बताये तथा वाद विचारण का दावा किये।

02. संक्षेप में, अभियोज वाद यह है कि दिनांक 06.06.2015 को करीब भैस लेकर सूचिका अपने घर आ रही थी तो देखा की दीपक ठाकुर हमारा शीशम का पेड़ उठा रहा था जब सूचिका ने मना किया तो सूचिका के बाल पकड़कर पटक दिया और थप्पड़ मुक्का से मारने लगा। सूचिका के पूत्र पंकज ठाकुर अपने पत्नी का परीक्षा दिलवाकर अपने घर आ रहा था तो 7.30 बजे शाम को घर आया। उसके बाद दिन की सारी घटना की जानकारी लोगों के द्वारा उनको मिला हम उस समय दिन में के हुए मसज के व्यक्तियों को बुलाने गए थे जब सूचिका उधर से लौट कर आ रही थी तो देखा कि कुछ लोग दिपक के दरवाजे पर खड़े थे सूचिका उस तरफ बढ़े तो देखा की दीपक ठाकुर, शिव देवी, खुशबु कुमारी लाठी और रॉड से सूचिका के लड़के को मार रही है तब सूचिका के पुत्र खुन से लथपथ पड़ा हुआ था उसे उठाकर वहां से इलाज के लिए सुरसण्ड हॉस्पीटल ले जाया गया। पुनः दिनांक 13.06.2015 को दिन शनीवार समय करीब सात बजे सुबह को सूचिका दूध लाने के लिए जा रही थीतो रामबाबू ठाकुर ने रास्ता में सूचिका को रोकर मारा और साड़ी खोलकर अन्दर डण्डा से कुछ गलत व्यवहार किया जो किसी को कहने लायक नहीं है। इसी आधार पर सुरसण्ड थाना कांड संख्या–151/2015 अंकित हुआ।

03. अनुसंधानोंपरांत् अनुसंधानकर्त्ता ने न्यायालय में आरोप–पत्र समर्पित किया। तत्पश्चात् इस वाद में दिनांक 13.07.2016 को धारा–323, 341, 379, 504, 354/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत संज्ञान् लिया गया। संज्ञानोंपरांत् अभियुक्त की उपस्थिति पूर्ण होने के पश्चात् वाद अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत रहा।

लगातार/–

04. साक्ष्योंपरांत् अभियुक्त का ब्यान धारा–313 दं.प्र.सं. के अतर्गत अभिलिखित किया गया। अभियुक्त अपने को निर्दोष बताया तथा सफाई में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

05. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दू यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोपों को युक्ति–संगत संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नही ?

मंतव्य

06. अभियोजन की ओर से अपने वाद के समर्थन में किसी भी साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित नहीं कराया गया है।

07. उभय पक्षों का बहस सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में आरोप–पत्र में सात साक्षियों का नाम अंकित है, लेकिन अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी को न्यायालय में परीक्षीत नहीं कराया गया है। इस वाद में अनुसंधानकर्ता जैसे महत्वपूर्ण साक्षी परिक्षीत नहीं हुए हैं। जबकि अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिनांक–17.04.2017 से दिनांक–11.09.2024 तक का पर्याप्त समय अनेकों तिथियॉ देकर प्रदान किया गया है।

इस तरह उपरोक्त विवेचनोंपरांत् यह न्यायालय यह पाती है कि अभियोजन अभिुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप को युक्ति–संगत संदेहों से परे सिद्ध करने में पूर्णतया विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण–01. खुशबु कुमारी 02. दीपक ठाकुर 03. रामबाबू ठाकुर 04. शिव देवी को धारा–323/34, 341/34, 379/34, 504/34, 354 भा.द.वि. के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उन्हें तथा उनके जमानतदारों को भी बंध–पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अनुमंडल न्यायिक दंड़ाधिकारी,
पुपरी।
10.03.2026.

अनुमंडल न्यायिक दंड़ाधिकारी,
पुपरी।
10.03.2026